भगाराम बनाम राज्य लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार)जसवंतपुरा प्रकरण संख्या 18/2018

13.08.2018 अपीलांट व राज्य लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार)जसवंतपुरा अनुपस्थित। राज्य लोक सूचना अधिकारी का जवाब प्राप्त हुआ।

राज्य लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार)भीनमाल ने जवाब में व्यक्त किया कि अपीलांट द्वारा श्री कल्पेश कुमार जैन नायब तहसीलदार रामसीन की सेवा पुस्तिका की प्रमाणित प्रतिलिपि की सूचना मांगी गई। सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित सूचना प्रकटीकरण का किसी सार्वजनिक हित से कोई संबंध नहीं होने से चाही गई सूचना देय नहीं है। जिस बाबत आवेदक को जरिए पत्रांक/505 दिनांक 29.06.2018 के द्वारा सूचित कर दिया गया। अत: अपील निरस्त फरमावे।

हमने राज्य लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार)जसवंतपुरा के द्वारा प्रस्तुत जवाब पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा पोस्टल आर्डर संख्या 40 एफ 730392 के संलग्न आवेदन पत्र दिनांक 23.05.2018 के द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में रेस्पोडेन्ट. राज्य लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार)जसवंतपुरा द्वारा अपीलांट को जरिए पत्रांक/505 दिनांक 29.06.2018 को आवेदित सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित सूचना प्रकटीकरण का किसी सार्वजनिक हित से कोई संबंध नहीं होने से चाही गई सूचना देय नहीं है, बाबत अपीलांट को सूचित किया है। जो विधीवत है। इस प्रकार प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपीलांट की अपील खारिज की जाती है।

अपीलांट को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस निर्णय से असंतुष्ट है तो इस आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग जयपुर के समक्ष की जा सकती है।

(बी.एल.कोठारी)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
(जिला कलेक्टर)
जालोर